

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 200 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00239

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार रायपुर	जरिये तहसीलदार	जसा पुत्र पुरखा के का०मु० 1. पुनाराम पुत्र जसाराम 2. नारायणलाल पुत्र जसाराम 3. मुलाराम पुत्र जसाराम 4. रमेश पुत्र दुर्गाराम 5. प्रकाश पुत्र दुर्गाराम 6. चंचल पुत्री दुर्गाराम 7. गीतादेवी पत्नी दुर्गाराम 8. जसुदेवी बेवा जसा जातिगण सिरवी निवासीगण गुडिया तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

--: आदेश :-

दिनांक - 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बा०अ० की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पिता/पति को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 के राजस्व रेकॉर्ड में आवंटी को बतौर लीज होल्डर दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै०मु० नदी थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम गुडिया के नामान्तरकरण संख्या 102 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम गुडिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म बा०अ० की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 10 कि किस्म गै०मु० नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 102 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर लीज होल्डर दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 10 की किस्म गै०मु० नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमो के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित किए आवंटन आदेश एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम गुडिया तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 102 को निरस्त करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अति.जिला कलेक्टर,पाली